Closure of PSUs in Rajsthan

*90. DR. ABRAR AHMED: Will the Minister of COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state:

(a) the number of public sector/private companies which have been closed in Rajasthan during the last three years as on March, 2002 and how many out of them have been referred to BIFR; and

(b) the steps taken for the revival of these industries?

THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI ARUN JAITLEY): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) No public sector enterprise of the Central Government in Rajasthan has been closed as on March 2002, whereas, ten companies in the private sector have been closed from the year 1999 to March 2002. Two Central Public Sector Enterprises and 159 companies in the p-ivate sector have been referred to Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR).

(b) The reference to BIFR, is in itself a process under which revival of the sick company is attempted. Under Sick Industrial Companies (Special Provision) Act, 1985, BIFR, wherever feasible, sanction rehabilitation schemes for revival of these companies by various measures under the Act which include restructuring of the capital, induction of fresh funds by the promoters, including Government for public sector companies, change of management, reliefs and concessions by financial institutions/ Banks, reliefs and concessions by the State and Central Government in the form of reschedulement of dues, grants etc.

डा. अबरार अहमद: माननीय अध्यक्ष महोदय जवाब में बताया गया हैं कि दस कंपनियां राजस्थान में इन तीन सालों की अवधि में बंद हुई हैं और 159 कंपनियों को बी.आई.एफ.आर. में भेजा गया हैं ।लेकिन यह भी सही हैं कि बहुत सारी ऎसी कंपनियां हैं जो अभी बी.आई.एफ.आर. में नहीं गई हैं लेकिन बी.आई.एफ.आर.में जाने के या बंद होने के कगार पर हैं । तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या इस अवधि में बी.आई.एफ.आर. ने कुछ कंपनियों को रिवाईव भी किया हैंया अब बी.आई.एफ.आर. मात्र नाम की संस्था रह गई हैं? आर.बी.आई ने एक कमेटी 1997 में बी.आई.एफ.आर. के सदस्य श्री एस.एल. कपूर की अध्यक्षता में बनाई थी और 1998 में उसने अपनी रिपोर्ट भी दे दी हैं । बैंक और वित्तीय संस्थाओं को ऎसे बीमार उद्योगों को ऋण देने के बारे में क्या सरकार ने कोई निर्देश दिए हैं और क्या बैंक उनका पालन कर रहे हैं ।

श्री अरुण जेटली: सभापति जी, जो कंपनियां बी.आई.एफ.आर. के समक्ष जाती हैं, उनका बी.आई.एफ.आर. को अध्ययन करना पड़ता हैं कि उन कंपनियों की एप्लीकेशन्स बी.आई.एफ.आर. के ज्यूरिस्डिक्शन में आती हैं या नहीं । यदि आती हैं तो बी.आई.एफ.आर. के समक्ष दो रास्ते होते हैं कि क्या उस कंपनी को रीवाईव किया जा सकता हैं, उसके स्वास्थ्य को ठीक किया जा सकता हैं चाहे उसके भीतर के फंड से या बाहर से कोई उसकी सहायता करे या कोई तीसरा व्यक्ति आकर उसको टेक ओवर करे, जिसको कि स्कीम कहते हैं उस स्कीम के तहत हैं उस स्कीम के तहत बी.आई.एफ.आर. इसको रिहैंबिलिटेट कर सकता हैं या वाइंड अप कर सकता हैं। जो 159 कंपनियां राजस्थान के बी.आई.एफ.आर. के सामने हैं, उनमें से कुछ की एप्लीकेशन्स थीं जो बी.आई.एफ.आर. के सामने मेंटनेबल नहीं थीं और वे लगभग 34 थीं ।वे लोग बी.आई.एफ.आर. में जाना चाहते थे ताकि दूसरे लोग, जिन्हें उनको ऋण देना हैं, बैंकों या मजदूरों को पैसा देना हैं, वह देने से बी.आई.एफ.आर. को ....(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : जल्दी बोलिए टाइम हो रहा हैं । एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए कि बी.आई.एफ.आर. में जो केसेज गए हैं वे कितने वर्षो से पेन्डिन्ग पड़ें हैं ।

श्री अरुण जेटली: सभापति जी, बी.आई.एफ.आर. में राजस्थान के नहीं हैं । इस सदन के समक्ष, पिछले सत्र में दूसरा इनसोल्वेन्सी कानून आया था। कुछ आंकड़े दिए गए थे कि बी.आई.एफ.आर. के सामने कुछ केसेज तो पिछले एक-दो साल से पेन्डिंग हैं । कुछ दस साल से भी ज्यादा पेंन्डिगं हैं बी.आई.एफ.आर. के सामने इनकी स्कीम थी ।

श्री सभापति : ठीक हैं । क्वेश्चन आवर इज ओवर ।

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

PHCs in rural areas

*85. SHRIMATIVANGA GEETHA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether only one in ten villages have a Primary Health Centre in the country; and

(b) if so, the measures proposed to be taken to open more Primary Health Centres, Sub-Centres, etc. in rural areas?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ): (a) There are at present 22842 Primary Health Centres (PHCs) in the country covering an average of 32469 people per centre within a redius of 7 kms. Each PHC coveres on an average 27 villages.